

Sale Ps. Area Rent Stamp
11,00,000/- Gumla Order 500 44000/-



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 67e79c955377e705c2cd

Receipt Date : 23-Mar-2021 02:12:55 pm

Receipt Amount : 44000/-

Amount In Words : Forty Four Thousands Rupees Only


Token Number : 20210000039204

Office Name : SRO - Gumla

Document Type : Sale Deed

Payee Name : NAND KUMAR BARAIK (Vendee)

GRN Number : 2105176665



--: For Office Use :-



2021/GUM/625/BK1/619

[Signature]
23/03/2021

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद का उपयोग
धर्म के लिए किया गया है।

नन्द कुमार बर्राईक
23/03/2021

नन्द कुमार बर्राईक

Map attached
with permission of the
Gumla case no 690/20-21
of 3-3-2021
Perpetual



इंडिया स्टाम्प एक्ट 1899 का अनुच्छेद
(या) क संख्या 23 के
अधिन यथावत स्टाम्प
सहित (या) स्टाम्प शुल्क से नियुक्त
का स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं।

निबंधन पत्राधिकारी

33000
Eah 3000
Pfe 1150

अंचल 25/03/21 मौजा 25/03/21 थाना नं० 59
के खाता सं० 84 एवं प्लॉट सं० 1398
का प्रतिबंधित सूची से मिलान किया
एवं प्रतिबंधित सूची से मुक्त पाया।

33000
23/03/2021

मार्ग दर्शिका पंजी से मिलान किया
सही पाया।

नाम मोकिर

वन सूची से जांचा
प्रतिबंधित नहीं पाया

23/03/2021

- पोलीकार्प टोप्पो वल्द स्व० वृश टोप्पो जाति उराँव
पेशा नौकरी (सेवा निवृत्त) साकिन मौजा मधुबाला
गली गुमला थाना गुमला जिला गुमला हालमोकाम
एच०न०52 जोन नं०4 रोड नं०5 बिरसा नगर
जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम भारतीय नागरिक।
आधार संख्या :- 815530277642
मोबाईल नं० :- 8877160688
पैन सं० :- APPPT55120
श० प० नं० :- 174/2021

नाम मोकिर
अलेह

- नन्द कुमार बड़ाईक वल्द स्व०अहलाद बड़ाईक
जाति चीक बड़ाईक पेशा कास्तकारी साकिन मौजा
रामपुर थाना वो जिला गुमला भारतीय नागरिक।
आधार संख्या :- 570371774186
मोबाईल नं० :- 8709682605
पैन सं० :- AFCPB5303E
श० प० नं० :- 175/2021

सदर पोलीकार्प टोप्पो मो/75/सा/उ/110000 रामपुरहालमोकाम
पाकर जमाना पिपर लिटर दिशा वो पहायड लिखा तो 22-3-21

नन्द कुमार बड़ाईक

किसीम वसिका :- बिक्री वैला कलामी हमेशा के लिए जिसकी सलाने मालगुजारी मो० 0.50 रूपैया (पचास पैसा) अलावे शेष।

तायदाद रूपैया :- जरसमन मो० 1100000/- (ग्यारह लाख) रूपैया

जायदाद :-

मवाजी 0.07 ए० (सात डी०) जमीन टांड अपना हक वो हिस्सा खरीदगी जिला निबंधन कार्यालय गुमला में निबंधित पट्टा संख्या 1496 सन् 1995 गुलि खड़ियाईन जौजे स्व० रिपो खड़िया बनाम पोलिकार्प टोप्पो वगैरह द्वारा हासिल है जिसका बुक नं० 1 भो० नं० 109 पेज नं० 24 से 27 वो पट्टा संख्या 1497 सन् 1995 गुलि खड़ियाईन जौजे स्व० रिपो खड़िया बनाम पोलिकार्प टोप्पो वगैरह द्वारा हासिल है जिसका बुक नं० 1 भो० नं० 109 पेज नं० 28 से 31 में निबंधित है जिसका नामान्तरण वाद संख्या 53/97-98 जो अंचल कार्यालय गुमला के भो० नं० 9 पेज नं० 108 में पोलिकार्प टोप्पो वगैरह के नाम से दर्ज है जिसका रसिद नं० 0102160333 है वो जिसका होल्डींग नं० 0200000565000M0 है जिसका अन्दर खाता नं० 84 वाके मौजा गुमला पुराना वार्ड नं० 20 वो नया वार्ड नं० 22 थाना गुमला थाना नं० 59 जिला गुमला जिसके मुतअलके कलेक्ट्री वो डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार मोकाम गुमला वो सब डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार मोकाम गुमला अन्दर जमीनदारी झारखण्ड सरकार बजरीये सर्किल ऑफिसर गुमला अंचल जमीन आवासीय योग्य।

पोलीकार्प टोप्पो
टा. 22-3-21

पंकज कुमार पिला श्री सुदर्शन कुमार
पुरा खरना टोली गुमला थाना वो जिला
गुमला ता० 22/03/2021
आधार नं० 8291 8679 2038
सं० 9304258369

तफसील जमीन :- खाता नं० प्लॉट नं० नाम जमीन रकबा
 84 1398 नगड़ा टांड 0.07 ए०
 {चौरासी}{एक हजार तीन सौ अनठानबे} {सात डी०}

चौहदी :- उत्तर - पी० सी० सी० सड़क
 दक्षिण - नीज विक्रेता
 पूरब - श्रीमति सुनिता किड़ो का घर
 पश्चिम - नीज विक्रेता

पैमाईश :- उत्तर तरफ जानिब पुरंब से पश्चिम 37'
 दक्षिण तरफ जानिब पुरब से पश्चिम 37'
 पुरब तरफ जानिब उत्तर से दक्षिण 83'3"
 पश्चिम तरफ जानिब उत्तर से दक्षिण 83'3"

कुल रकबा सात डीसमिल खाली भूमि।

नक्शा संलग्न है।

चूँकि मनमाकिर मोकिर अलैह दोनों आदिवासी है इस लिए बिना परमिशन का रजिस्ट्र नहीं हो सकता है इस लिए परिमिशन के लिए न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला के यहाँ आवेदन दिए जिसका केश नं० 690/2020-21 पड़ा उसके बाद न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला ने मनमोकिर का आवेदन पत्र की दूसरी प्रति जाँच हेतु अंचल अधिकारी, गुमला को भेजे। अंचल अधिकारी, गुमला ने मनमोकिर का राजस्व कागजात से जाँच पड़ताल कर सही पाकर बिक्री करने का अनुशंसा कर न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला को वापस भेजे उसी जाँच प्रतिवेदन के आधार पर वो मनमोकिर का ब्यान अंकित कर सही पाकर दिनांक 03/03/2021 को बिक्री करने का अनुमती दिए। अनुमती पाकर आज बिक्री कर रहे है।

पोलीकार्प टोपो
 नं० 22-2-21

22.3.2021

दिनांक - 03/03/2021
 जमाना - 0 गुमला

आधार नं० 333597569026
 नं० 8877160689

नन्दकुमार बड़ई

मनमोकिर को रूपैया के जरूरी वास्ते मकान बनाने एवं अन्य कार्यों का हुआ के मोकिर अलैह से मो० 1100000/- (ग्यारह लाख) रूपैया नगद लिया वो रूपैया मजकूर को जरसमन करार दे कर खाना नं० 5 का जमीन को आज के रोज से बेचा वो बिक्री वैला कलामी किया चाहिए अब सय बिक्री में आज के रोज से खरीददार मजकूर को खुद दखलकार होकर वो रह कर अपने मसरफ में लावें के सय बिक्री में मनमोकिर वारिसान कायम मोकामियान का जिस किसीम का हक वो दावी था अइन्दे होता सो सब हक वा दावी खरीददार मजकूर को हुआ वो सय बिक्री का खारिज दाखिल स्टेट ऑफ़ झारखण्ड के सिरीस्ते में करा कर खास रसीद लिया करेगें। इसमें मनमोकिर वारिसान काएम मोकामियान को कोई उजूर नहीं है वो न आएन्दे होगा इसलिए अपने खुशी वो राजी से कुल रूपैया वसुल पाकर बिक्री वैला कलामि लिख दिया के वख्त पर काम आवें।

आज तारीख 19/03/2021 ईश्वी मोकाम गुमला

यह घोषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है और न ही सरकार के द्वारा अधिग्रहण (सैनिक या असैनिक) ही किया गया है। यह घोषित करते हैं कि प्रासांगिक भूमि, भूदान, भूदान भूहदबन्दी लीज, भूअर्जन तथा भूवन्दोबस्ती की नहीं है। यह भूमि खनन एवं वन सीमा से बाहर है कि यह भूमि मठ, मन्दिर, गिरजा, मस्जिद, सरना तथा गुरुद्वारा का नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रासांगिक भूमि की बिक्री पूर्व में नहीं की गई है। यह जमीन प्रतिबंधित सूची से बाहर है।

मैं लेख्यकारी घोषणा करता हूँ कि झारखण्ड भूहदबन्दी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधिन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा बिक्री की जाने वाली जमीन भूहदबन्दी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

फोलीकारि टोप्यो-

ता. २२-३-२१



धम

गजनी

मदयामा

उशनाप्रका काबेछ

नन्दकुमारबंसिक

गवाए . गजेश स्वडि पा पिता-स्व-बोना स्वडिथ

पता-सरना लोली गुमला नं० १२/३/२०२१

आधार नं० ३९०३ ५८६९५५२९


मो.नं. ८२९५७००१५२

सही- फोलीकारि टोप्यो

ता. २२-३-२१

मैं लेख्यधारी घोषणा करता हूँ कि झारखण्ड भूहदबन्दी अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अधिन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा खरीदगी की जाने वाली जमीन भूहदबन्दी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

नन्द कुमार बड़ाईक
२२-३-२१



वस

रजनी

सध्याम

अनामिका

शनिष्क

पोलीकार्ड टोपो

ता. २२-३-२१

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज में 5 पेज टोईप किया गया है जिसमें खंडन नहीं है।

ड्राफ्टकर्ता *Manjor Sahu Advocate* गुमला के ड्राफ्ट पर बिक्री वैला कलामी टंकित किया वो पढ़ कर सुना व समझा दिया।

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी एवं लेख्यधारी का फोटो दस्तावेज में लगा है एवं बाये हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान दस्तावेज में मेरे समक्ष लिया गया।

*M. Sahu
-Advocate
23.3.21*

टंकक

ड्राफ्टकर्ता का हस्ताक्षर


प्रभात दास

प्रभात दास


नन्द कुमार बड़ाईक



गुप्तका
 ठाणका
 वडा
 गुप्तका




खानाको	कोटिगत	रकबा
84	1398	0.07 रकबा



~~यो क्षेत्रः उत्तर तरफ पी०सी०सी० सडक
 दक्षिण तरफ नीज बिक्रीत
 पुरव तरफ सीमति सुनिता डि.डी.का घर
 पश्चिम तरफ नीज बिक्रीत~~

~~पैमाइशाः- उत्तर तरफ जानिब पुरव से पैमाइशा 37' मीटर
 दक्षिण तरफ जानिब पुरव से पैमाइशा 37' मीटर
 पुरव तरफ जानिब पुरव से दक्षिण 83'3" मीटर
 पश्चिम तरफ जानिब उत्तर से दक्षिण 83'3" मीटर~~



मानमोक्तिरः- पोलिकार्प लेप्पो वरुण 2980 वरुण लेप्पो जानि
 ठराव पेशा खेती साकिन मोपा मधुबाला गली नार्डिनो
 15 थागा वो जिला गुप्तका । हाल मोठाम हाउस नं० 52
 जो नं० 4 रोड नं० 5 बिन्सागा पुरी सिन्धुम जमसेदपुर ।

मानमोक्तिरः- गन्दकुमार बडाईक वरुण 2980 हाउस नं०
 हालः बडाईक जानि चोक बडाईक पेशा नौकरी
 साकिन मोपा रामपुर पोस्ट लेपो थागा वो जिला
 गुप्तका हाल मोठाम नीयत वाट 2 वेज वलो नी
 सरनाटोली गुप्तका थागा वो जिला गुप्तका ।

थो नौ वार्प लेप्पो
 नं० 22-3-21

गन्दकुमार बडाईक
 G. K. S. Singh
 P. K. S. Singh

गन्दकुमार बडाईक



cf 641
1312

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहता, गुमला

अनुमति व द संख्या - 690/20-21

पोली कार्प टोप्यो

बनाम

नन्द कुमार बडाईक



आवेदक

विपक्षी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती पोली कार्प टोप्यो

पिता/पति खं वृश टोप्यो निवास,

मधुवाल गली गुमला ग्राम गुमला थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नांकित
एच. नं. 52 जेन 04 2021 5 विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम

1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।


भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
<u>गुमला</u>	<u>गुमला 59</u>	<u>84</u>	<u>1398</u>	<u>0.07 एकड़</u>

(समूह जितमिल)

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित क्रेता श्री/श्रीमती नन्द कुमार बडाईक पिता/पति खं महलाद बडाईक निवासी ग्राम रामपुर थाना गुमला जिला गुमला को राशि रुपये 11,00,000/- (ग्यारह लाख रुपये) पर बिक्री करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के पत्रांक 333 देनांक 26/2/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति

नन्द कुमार बडाईक



प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के ब वजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतिग्रानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के उत्तर है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी गुजराल के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती श्रीमती सुनीता सुन्दर पिता/पति श्री. सुश. सुन्दर निवासी गुजराल ग्राम मथुवाला गली गुजराल थाना गुजराल जिला गुजराल को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबधन जामशेदपुर कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
<u>गुजराल</u>	<u>गुजराल 59</u>	<u>84</u>	<u>1398</u>	<u>0.07 एकड़</u>

(कुल खात उत्तमिल)



उत्तर- श्री. सुनीता सुन्दर
 पूरब- श्रीमती सुनीता सुन्दर

दक्षिण- नीज बिक्री
 पश्चिम- नीज बिक्री

लेखापित्र एवं संशोधित
सुनीता सुन्दर
 भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
 गुजराल।


भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
 गुजराल।

Handwritten marks and stamps at the bottom left.

Handwritten marks and stamps at the bottom center.

Handwritten marks and stamps at the bottom right.

Handwritten signature 'नन्द कुमार' at the bottom right.



2/6/21
1971

श्री. श्री. 15 श्रां दिनांक 16/1/2021

श्री. श्री. गुमला को जीव प्रियेदन् एके काम
इशेकर का त्रुपिता हु प्रेषित।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गुमला।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
गुमला

अनुमति वाद संख्या :- 690/2020-21

श्री. श्री. टोप्पो पिता स्व० वृश टोप्पो जाति उरॉव पेशा नौकरी साकिन मौजा मधुबाला
गली गुमला थाना वो जिला गुमला हालमोकाम एच० नं० 52 जोन नं० 4 रोड नं० 5 बिरसा
नगर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभुम
..... आवेदक।

बनाम

1. नन्द कुमार बड़ाईक पिता स्व० अहलाद बड़ाईक जाति चीक बड़ाईक पेशा
कास्तकारी साकिन मौजा रामपुर थाना वो जिला गुमला।
2. हर आम वो खास वाके मौजा सरनाटोली पुराना वार्ड नं० 20 नया वार्ड नं० 22
थाना गुमला थाना नं० 59 जिला गुमला।
3. झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी गुमला।
विपक्षी।


दरखास्त अन्दर दफा 46 सी० एन० टी०
के अन्तर्गत -

सविनय निवेदन है कि आवेदक द्वारा आवेदित भूमि मौजा गुमला थाना
गुमला थाना नं० 59 अन्दर खाता नं० 84 जो आवेदक का खरीदगी भूमि है जिस पर
आवेदक शायल माल शेष के अदा करते चले आ रहे है।

हाल का सूरत ऐसा है कि आवेदक को रुपये की जरूरत वास्ते जरूरी काम
का दर पेश हुआ है जमीन बिक्री किये बगैर रुपये का इन्तजाम नहीं हो सका इसलिए
विपक्षी संख्या एक के साथ नीचे वर्णित भूमि को बिक्री करने की बात चीत किया वो कुल

M. S. S. S.
18.1.21

नन्द कुमार बड़ाईक



CP 641
15/12/21

रुपैया 11,00,000/- (एगारह लाख) में बात तय पाकर अग्रिम के रूप में मो० रुपैया 1,00,000/- (एक लाख) लेकर अपना काम में दर लाया वो जरसमन के बदले जमीन को बिक्री लिख देना तय किया बाकी रुपया रजिस्ट्री के समय विपक्षी संख्या एक आवेदक को देगें।

आवेदक एवं विपक्षी संख्या एक दोनों अनुसूचित जन जाति के उराँव वो चीक बड़ाईक जाति के सदस्य है। इसलिए अनुमति प्राप्त करना जरूरी हुआ। आवेदक एवं विपक्षी एक ही थाना क्षेत्र के रहने वाले है।

आवेदक द्वारा आवेदित भूमि सरकारी नहीं है न ही सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है। यह भूमि सिलिंग, भूदान, भूहदबन्दी खनन एवं वनसीमा की परिधि की नहीं है। यह भूमि में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। इस भूमि की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि बचती है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आवेदक को नीचे वर्णित भूमि को विपक्षी के नाम निर्धारित कीमत पर बिक्री करने की अनुमती प्रदान करने की कृपा की जाय।

तफसिल जमीन मौजा गुमला थाना गुमला थाना नं० 59

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
84	1398	0.07 ए०

चौहदी :-

- उत्तर :- पी० सी० सी० सड़क
- दक्षिण :- नीज विक्रेता
- पूरब :- श्रीमति सुनीता किड़ो का घर
- पश्चिम :- नीज विक्रेता

आवेदक

REGISTERED TO THE PROSEUTOR

15/12/21

REGISTERED UNDER SECTION 17-A OF THE

18/12/21


18/12/21

18/12/21

M. S. Sahu
AM
18/12/21

मोहिलकार्य टोपपो

नन्द कुमार बजाईक



cf 64
15/3/21

पत्रांक-333

कार्यालय अंचल अधिकारी, गुमला। (दिनांक-26-02-2021)

छोटानागपुर कार्रकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत भूमि रिकी/बखसीस/बंधक की जाने से संबंधित जाँच प्रतिवेदन

1. वाद संख्या:- 690/2020-21

2. विक्रेता/बखसीस कर्ता/बंधक कर्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता:- पीलीकूप टोपी पीलाखण्ड वृद्ध टोपी मेधा- मधुबाला जमी गुमला, थानाकी गिरा- गुमला, हासमेकाम श्च नं० 52 जिन नं० 4 रड नं० 5 बिरसा नगर जमशेदपुर एच सी एम जाति स्वयं

क्रिेता/ बखसीस प्राप्तकर्ता/बंधक प्राप्तकर्ता का नाम, पिता/पति का नाम, जाति एवं पता(साक्ष्य संलग्न करें)- नन्द कुमार बड़ईक पिता एव अहलाक बड़ईक, मेधा- रामपुर, थानाकी गिरा- गुमला, जाति- वीक

प्लॉट/ दान/ वसीयत/ हिब्बानामा/ मोख्तारनामा/ बदलेन/ बैबुलवफा की जाने वाली भूमि का व्यौरा :-

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा
गुमला	84	1398	007 ए० (सप्त)

विक्रेता से संबंधित विवरण:-

1. प्रस्तावित भूमि का खतियानी विवरण:-

मौजा का नाम एवं थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	खतियानी रैयत का विवरण
गुमला-59	84	1398	1-60	पीलीकूप पीलाखण्ड टोपी खड़ीका

2. वर्तमान पंजी II रैयत का विवरण:-


पंजी II का पृष्ठ संख्या एवं भाग	पंजी II में दर्ज खता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	पंजी II में दर्ज होने का आधार एवं अंतिम लगान रसीद निर्गत होने का वर्ष	पंजी II रैयत का नाम
108 IX	84	1398	0-80 ए०	M.O.N.O. 53/71-98 2016-17	पीलीकूप टोपी पीलाखण्ड टोपी खड़ीका मूस टोपी पेमणखण्ड टोपी

3. खतियानी रैयत के साथ पंजी II रैयत का संबंध:- खड़ीका
4. खतियानी रैयत के साथ आवेदक का संबंध:- तर्क
5. पंजी II रैयत से आवेदक का संबंध:- स्वयं

कर्मचारी के द्वारा स्थनीय जाँच प्रतिवेदन:-

स्थानीय जाँच की तिथि एवं समय	आवेदक के द्वारा धारित भूमि का रकबा	बिकी/बखसीस/बंधक हेतु प्रस्तावित रकबा	बिकी/बखसीस/बंधक के पचात शेष रकबा	प्रस्तावित भूमि का बाजार मूल्य
25.02.2021	0-80 ए०	0-07 ए०	0-73 ए०	रकबा 0-73 ए०
2.30.20	0-80 ए०	0-07 ए०	0-73 ए०	रकबा 0-73 ए०

नन्द कुमार बड़ईक



1. क्या प्रस्तावित भूमि पर किसी के द्वारा किसी प्रकार का पूर्व ऋण लिया गया है- नहीं
2. क्या प्रस्तावित भूमि किसी प्रकार से विवादित है- नहीं
3. क्या प्रस्तावित भूमि आवेदक के हिस्से/दखल की भूमि है- हां
4. वर्तमान में आवेदित भूमि पर किसका दखल है- विक्रेता का
5. आवेदक को यह भूमि किस प्रकार हासिल है- M.C. NO. 53/97-98 के द्वारा
6. क्या प्रस्तावित भूमि से संबंधित किसी प्रकार का मामला किसी न्यायालय में लंबित है- नहीं
7. क्या प्रस्तावित भूमि किसी प्रयोजनार्थ अर्जित की गई है- नहीं
8. क्या आवेदित भूमि आवेदक का पंजी ॥ रैयत को भू-बंदोबस्ती/भूहदबंदी/गृहस्थल से प्राप्त है(पूर्ण विवरण दें)- नहीं
9. क्या पंजी ॥ पूर्णतः जाँच किया गया है. किसी प्रकार का दोहरी जमा बंदी का मामला प्रतिष्ठ होता है- नहीं
10. विक्रेता एवं केता किस थाना के निवासी हैं- शुभला थाना गुमला के निवासी हैं।
11. विक्रेता द्वारा किस प्रयोजनार्थ भूमि विक्री किया जा रहा है- अरबी कागवास्ते
12. आवेदित भूमि गैरमजरूआ आम/खास/कैसरे हिन्द/भूदान/सिलिंग से बाहर है- बाहर है।
13. विक्रेता का वंशावली:-

दुख दीप्ती
 ① पौली काप दीप्ती ② मोरख दीप्ती ③ बोरि दीप्ती ④ मीशामुख दीप्ती
 (विक्रेता)

केता से संबंधित प्रतिवेदन:-

1. केता किस मौजा के मूल निवासी हैं- (शुभला) रामपुर
2. केता द्वारा धारित भूमि की विवरणी:-

मौजा का नाम एवं थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	धारित भूमि का रकबा	खतियान की विवरणी/पंजी ॥ की विवरणी	खतियानी रैयत/ पंजी ॥ रैयत के साथ केता का संबंध
शुभला 59	14	-	0.0500	नन्दकुमार बड़ाईक पिता का एलाफ अडाईक	स्वयं

हल्का कर्षकारी जचल निरीक्षक का स्पष्ट मतव्य केता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जाति-जाति के सदस्य एवं शुभला थाना गुमला के निवासी हैं। विक्रेता स्वयं पंजीधारक रैयत हैं।

अतः अदालत के निमित्त अनुसूचित जाति-जाति के सदस्य के अर्थ में पंजीधारक के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है।

नन्दकुमार बड़ाईक



नन्दकुमार बड़ाईक